न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, जहानाबाद
जिला–जहानाबाद (बिहार)

सत्र वाद सं0– 117/2018–12/2018

स्टेट ऑफ बिहार बनाम् सुबोध पासवान

पुलिस थाना–मखदुमपुर (जिला–जहानाबाद)
प्र0 सू0 रि0 संख्या– 95/2017, अंतर्गत धारा– 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 380, 384/34 भा.द.सं.
अपराध का संज्ञान अंतर्गत धारा– 147, 148, 149, 323, 324, 307, 380, 384/34 भा.द.सं.

उपस्थित– बिजेन्द्र कुमार धनखड़, पीठासीन अधिकारी

आदेश दिनांकित 05.04.2019

1. काराधीन अभियुक्त सुबोध पासवान पुत्र मुरारी प्रसाद निवासी–गांव टेहटा, थाना–मखदुमपुर, जिला जहानाबाद के तरफ से दाखिल जमानत याचिका दिनांकित 04.04.2019 को उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। काराधीन अभियुक्त मखदुमपुर थाना प्राथमिकी संख्या 95/2017 अंर्तगत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 380, 384/34 भा.द.सं. में दिनांक 04.04.2019 से कारा में है।
2. आवेदक – अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में वाद के सत्र न्यायालय में सुपर्दगी होने के पहले ही आवेदक–अभियुक्त जमानत पर था। उनका कहना है कि यह वाद माननीय सत्र न्यायाधीश के अदालत में सुपुर्द होने के पश्चात् से अलग–अलग न्यायालयों में स्थानांतरित होता रहा है। इस कारण आवेदक–अभियुक्त को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी और वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। उसकी अनुपस्थिति जान–बूझकर नहीं हुई है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक–अभियुक्त ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है और अदालत द्वारा जमानत मंजूर किये जाने की दशा में आवेदक–अभियुक्त सुनवाई के प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में हाजिर रहेगा और न्यायालय द्वारा जमानत के बारे में लगाई जाने वाली सभी शर्तो को मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
3. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध किया है। उनका कहना है कि आवेदक–अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त ने पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जमानत का दुरूपयोग किया है। उनका यह भी कहना है कि न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर ही अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण किया गया हैं। यदि उसे पुनः जमानत पर छोड़ा जाता है तो उसकी सुनवाई पर उपस्थित होने की संभावना नहीं है। वाद के विचारण में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। अतः आवेदक–अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज किया जावे।
4. जमानत याचिका पर आज उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख एवं केस–डायरी का अवलोकन

5/4/2019

किया गया जिससे दर्शित होता है कि वाद के सुपुर्दगी से पहले अभियुक्त जमानत पर था तथा वाद में आरोप विरचित कर दिया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक–अभियुक्त द्वारा दायर जमानत–याचिका दिनांकित 04.04.2019 को स्वीकृत किया जाता है। इस वाद में अभियुक्त सुबोध पासवान पुत्र मुरारी प्रसाद को 10,000 रुपये के दो प्रतिभू सहित जमानतीय बंध–पत्र पर उन्मुक्त किया जाये। आदेश आज दिनांक 05.04.2019 को खुले न्यायालय में लिखा कर सुनाया गया।

लेखापित

5/4/2019

अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम
जहानाबाद।